मिरिट स्थापन जयते The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) 💝 PART II—Section 3—Sub-section (ii) 7

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



सं॰ 740] No. 740]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 1998/ कार्तिक 22, 1920 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 1998/KARTIKA 22, 1920

> मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विधाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 नवम्बर,1998

का. आ. 973 (अ).— भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के सचिव ने, जो ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रीय खेल कृद विकास निधि, नई दिल्ली की निधियों को पूर्त प्रयोजनों के न्यास में उपयोजन करने की प्रस्तावना करता है, इससे उपाबद्ध अनुसूची ''क'' में वर्णित निधियों को भारत के पूर्त विन्यास कोषपाल में निहित करने के लिए और उक्त निधि के प्रबंधन और प्रशासन के लिए स्कीम बनाने के लिए आवेदन किया है:

अत: अब केन्द्रीय सरकार, पूर्त विन्यास अश्विनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोंक्त आवेदन पर तथा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के सचिव की सहपति से यह आदेश देती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची ''क'' में उपवर्णित धन, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उक्त निधि के प्रबंध और प्रशासन के लिए न्यास और इससे उपाबद्ध अनुसूची ''ख'' की स्कीम में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अनुसार उक्त धन और उसकी आय को भारत के पूर्व विन्यास कोषपाल में, उसके या उसके पदोत्तरवर्ती द्वारा न्यास में धारित किए जाने के लिए निहित किया जाएगा ;

और आगे यह और अधिसूचित किया जाता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची "ख" में विनिर्दिष्ट स्कीम, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उक्त निधि के प्रशासन के लिए बनाई गई है और उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आगे यह और आदेश दिया जाता है कि यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

अनसची "क"

राष्ट्रीय खेल कुद विकास निधि

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के योजना बजट में से, राष्ट्रीय खेल कुद विकास निधि की निधियों के लिए 2.00 करोड रुपये का अभिदाय किया गया।

अनुसूची "ख"

राष्ट्रीय खेल कृद विकास निधि के प्रशासन के लिए स्कीम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
 - (1) इस स्कीम का मंक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेल कूद विकास निधि स्कीम, 1998 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।



2. परिभाषाएं

इस स्कीम में, जब, तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "अध्यक्ष" से परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ख) ''सिमति'' से पैरा 11 के अधीन गठित कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;
- (ग) "परिषद" से पैरा 7 के अधीन गठित परिषद अभिप्रेत है ;
- (घ) "निधि" से राष्ट्रीय खेल कृद विकास निधि अभिप्रेत है ;
- (इ) ''सदस्य सचिव'' से पैरा 7 के अधीन नाम निर्दिष्ट परिषद का सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;
- (व) "पैरा" से स्कीम का पैरा अभिप्रेत है :
- (छ) "प्रधान" से समिति का प्रधान अभिप्रेंत है ;
- (ज) "संपत्तियों" से निधि की संपत्तियां अभिप्रेत हैं ;
- (झ) "स्क्रीम" से राष्ट्रीय खेल कूद विकास निधि के प्रशासन के लिए स्कीम अभिप्रेत है ;

3. निधि के उददेश्य

निधि के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- (1) निधि के धन का, साधारणतः खेल कूदों और विशेषतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट खेल कूद शाखाओं और व्यष्टि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रबंध और उपयोजन करना;
- (2) सुसंगत खेल कूद शाखाओं में खिलाड़ियों, कोचों और खेल कूद विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग देना;
- (3) खेल कूद में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित अवसंरचना का निर्माण और रख-रखाव करना ;
- (4) खेल कूद में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और व्यष्टिकों को उपस्करों की अपूर्ति करना;
- (5) समस्याओं का पता लगाना और खेलों में उत्कृष्टता को सहयोग देने के लिए अनुसंधान और विकास अध्ययन आरंभ करना ;
- (6) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषतः आदान-प्रदान को, जो स्वदेशी खेल कूद और मानव संसाधनों के विकास को और ऐसे क्रियाकलापों को भी जो भारत और अन्य देशों के बीच हुए आदान प्रदान कार्यक्रम की परिधि में आते हैं, प्रोत्साहन देना; और
- (7) पूर्वोक्त किन्ही उद्देश्यों से संबंधित परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए कम ब्याज पर या ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।

4. निधि की आस्तियां

- (1) उस धन के अतिरिक्त, जिसकी विशिष्टियां इस अधिसूचना की अनुसूची "क" में दी गई है, निधि में निम्नलिखित आस्तियां होंगी:—
 - (क) भारत सरकार के युवा काय्रक्रम और खेल विभाग के योजना बजट में से उपलब्ध कराए गए सत्रह करोड़ और पचास लाख रुपये और
 - (ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से दोनों तरह के आवर्ती और गैर-आवर्ती सभी ऐसे अनुदान और अभिदान।
 - (2) निधि, संसद या राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अधीन बनाए गए कानूनी निकार्यों, संयुक्त राष्ट्र तथा उसके सहयुक्त निकार्यों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्राइवेंट तथा पब्लिक कार्पोरेट सैक्टरों, न्यासों, सोसायिटयों और व्यष्टियों से अभिदाय स्वीकार करेगी:

परन्तु यह कि किसी व्यष्टि या संगठन से धन स्वीकारने या अन्यथा करने की दशा में समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

5. निधि की आस्तियों का निहित किया जाना

निधि की आस्तियां स्कीम के अधीन भारत के पूर्व विन्यास कोषपाल में निहित होगी।

6. पूर्त विन्यास कोषपाल निधि के प्रबंधन और प्रशासन में कार्य नहीं करेगा किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए किन्हीं साधारण अथवा विशेष निर्देषों के अधीन ऐसा प्रबंधन और प्रशासन परिषद में निहित होगा।

7. परिषद का गठन

निधि के प्रबन्धन और प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

क.	1.	मानव संसाधन विकास का संघ मंत्री	अध्यक्ष	(पदेन)
	2.	युवा कार्यक्रम और खेल के लिए राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष	(पदेन)
	3.	भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का सचिव	सदस्य	(पदेन)
	4.	भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक	सदस्य	(पदेन)
	5.	भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल	 सदस्य	(पदेन)
		विभाग का संयुक्त सचिव		
	6.	वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन	सदस्य	(पदेन)
		विकास मंत्रालय		

7.	आठ विख्यात खिलाड़ी और कार्पीरेट सैक्टर, प्राइवेट	सदस्य	
	प्रतिष्ठानों तथा अलाभ स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे अन्य क्षेत्रों का		
	प्रति निधित्व करने वाले नौ तक विख्यात व्यक्ति।		
8.	भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का कोई	सदस्य सचिव	(पदेन)
	अधिकारी जो उप सचिव से नीचे की रेंक का न हो		

8. परिषद की बैठकें :

परिषद वर्ष में कम से कम एक बार, नीति विषयों या निधि से संबंधित विवाद्यकों पर, जिन पर सिमिति द्वारा उसका विनिश्चय मांगा गया है, विनिश्चय करने के लिए बैठक करेगी।

9. परिषद के बैठक की गणपूर्ति और परिषद के विनिश्चय :

- (1) परिषद की बैठक की गणपूर्ति परिषद का सदस्य संख्या की दो तिहाई होगी जिसमें अध्यक्ष सिहत कम से कम तीन पदेन सदस्य होंगे।
- (2) परिषद सभी विषयों पर विनिश्चय सर्व-सम्मित से करेगी परंतु मतभेद की दशा में संकल्प पर मतदान कराया जाएगा और उपस्थित और मत डाल रहे सदस्यों के मतों सदस्यों के मतों के बहुमत से विनिश्चय किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में, अध्यक्ष दूसरा या निर्णायक मत देगा।

10. परिषद के कामकाज का संचालन :

- (1) परिषद इसके गठन में किसी रिक्ति के होते हुए भी कृत्य कर सकेगी, परंतु किसी भी समय रिक्तियों की संख्या ऐसी नहीं होगी कि सदस्यों की कुल संख्या परिषद के बैठक के लिए अपेक्षित गणपूर्ति से कम हो।
- (2) परिषद इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इसके कामकाज के संचालन के लिए, उपविधि विरचित कर सकती हैं और समय-समय पर उसमें परिवर्तन कर सकती हैं, जो वह ठीक समझे।

11. कार्यपालक समिति :

निधि का दिन-प्रतिदिन के कामकाज का प्रबंध

1.	भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का सचिव	प्रधान	. (पदेन)
2.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	सदस्य	(पदेन)
3.	भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का संयुक्त सचिव	सदस्य	(पदेन)
4.	वित्तीय सलाहाकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य	(पदेन)
5.	परिषद के 5 सदस्य, जिनका नाम निर्देशन प्रबंधन और निधि उगाहने में उनके		सदस्य
	अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया जाए।		

 परिषद का सदस्य-सचिव कार्यपालक समिति के पास इसके विचार-विमर्श में सहायता के लिए विशेषज्ञों को बुलाने का ग्राधिकार होगा।

12. गणपूर्ति :

- (1) कार्यपालक सिमिति की बैठक के लिए गणपूर्ति सिमिति के सदस्यों की कुल संख्या की दो तिहाई होगी जिसमें प्रधान सिहत कम से कम दो पदेन सदस्य होंगे।
- (2) ऐसे सभी विषयों पर जिन पर सिमित का विनिश्चय अपेक्षित है, सर्वसम्मित से और ऐसा न होने पर सभी उपस्थित और प्रश्न पर मत डाल रहे सदस्यों के मतों के बहुमत से विनिश्चय किया जाएगा और मतों की बराबरी की दशा में प्रधान दूसरा या निर्णायक मत डालेगा।

13. समिति की बैठकें :

समिति आवश्यकतानुसार बैठकें करेगी किन्तु एक वर्ष में चार से कम बैठकें नहीं करेगी।

14. उप-विधि का बनाना :

समिति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए उप-विधि बना सकेगी :—

- (1) विनियमन, प्रबंध, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके निबंधन एवं शर्तों के लिए और निधि के उद्देश्यों के निष्पादन और प्रबंध से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए; और
- (2) परिषद के कामकाज के संचालन के लिए।

15. विनिधान :

(1) परिषद, निधि के विनिधान की सम्पूर्ण नीति पर विनिश्चय करेगी। सिमिति, निधि की आस्तियों का तत्समय विधि द्वारा न्यास के धन के विनिधान के लिए प्राधिकृत किसी एक या अधिक विनिधान के ढंगों में, जिसे सिमिति उचित समझती है, विनिधान करेगी (2) सिमिति निधि के ऐसे धन का, जिसकी तुरंत आवश्यकता नहीं है, अल्पकालिक आधार पर सावधि निक्षेपों/प्रमाणपत्रों में विनिधान कर सकेगी।

16. शक्तियों का प्रत्यायोजन :

(1) परिषद, नीति विषयों पर विनिश्चय की शक्ति और उपविधियां विरचित करने की शक्ति को छोड़कर अपनी शक्तियों में से किसी का समिति को प्रत्यायोजन कर सकेगी। (2) समिति, अपने सदस्यों में से किसी एक को या इस प्रयोजन के लिए सृजित उप समिति या उप समितियों को अपनी ऐसी शक्तियों का न्य स्मिति की राय में केवल अनुसचिवीय कार्य जिनमें विवेक अंतर्विलित नहीं होता, करने के लिए अपेक्षित हैं या जो सामान्य प्रथाओं के अनुरूप आवश्यक समझी जाती है, प्रत्यायोजन कर सकेगी।

17. संविदाएं :

सभी संविदाएं और अन्य एश्योरेंस परिषद के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे, और उसकी ओर से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की राष्ट्रीय खेल कूद विकास निधि के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा उसके परिषद के सदस्य की हैसियत में या परियद द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत समिति के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

18. अतिरिक्त विन्यास :

- (1) परिषद, निधि के संवर्धन या इसके उद्देश्यों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिए कोई विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय स्वीकार कर संकेगी।
- (2) परिषद स्कीमों में से किसी के साथ जुड़े विशेष प्रयोजन के लिए भी, जो स्कीम के उपबंधों से असंगत नहीं है या उनके सम्यक कार्यकरण में अड़चन डालने के लिए प्रकल्पित नहीं है, विन्यास, संदान या अन्य अभिदाय भी स्वीकार कर सकेगी।
- (3) निधि के किसी दाता के लिए, इस विषय में साधारण नीति मार्गदर्शनों और नियमों, यदि कोई हैं, के अधीन रहते हुए वित्तपोषण के लिए विनिर्दिष्ट अवस्थान/बात के साथ परियोजना और निधि को संदान करते समय परियोजना के निष्पादन के लिए अभिकरण को भी उपदर्शित करना अनुजेय होगा। परिषद अथवा उस दशा में सिमिति, जब विन्यास संदान अथवा अन्य अभिदाय स्वीकार करने की शक्ति इसे प्रत्यायोजित की गई है, दाता के चयन का यथासंभव सम्मान करेगी।

19. वित्तीय सहायता की पात्रता :

राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघ, राज्य खेल कूद संगम, राज्य खेल कूद परिषद, खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञात रिकार्ड वाले और सोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रिजस्ट्रीकृत अथवा लोक न्यास के रूप में रिजस्ट्रीकृत और कम से कम तीन वर्ष से कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन या उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यष्टि खिलाड़ी किसी विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए निधि से वित्तीय सहायता लेने के लिए आवदेन करने के पात्र होंगे। सहायता लेने वाले निकाय/व्यक्तियों को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अविध के भीतर सुसंगत ब्यौरों के साथ उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। निधि की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

20. परिषद को आवेदन :

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधि से या उसके अधीन, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन इस स्कीम से उपाबद्ध परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होगा। 21. निधि के अधीन वित्तीय सहायता या ऋण के लिए विनिश्चय, समिति द्वारा परियोजना, निष्पादक निकाय की प्रास्थिति और साथ ही दाता की

इच्छाओं पर विचार करके लिया जाएगा :

परंतु यह कि निधि के अधीन वित्तीय सहायता के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।

22. आवेदन पर विचार :

निधि से वित्तीय सहायता या ऋण के लिए सभी आवेदनों पर सिमिति द्वारा विचार किया जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा तथा ऐसे विनिश्चयों की जानकारी परिषद को दी जाएगी :

परंतु यह कि किसी आवेदन पर विचार करने से पूर्व समिति का प्रधान यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे आवेदन को समिति का किसी अन्य निकाय को उस पर उसके विचार अभिव्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

23. वित्तीय सहायता रोकने की शक्ति :

समिति का प्रधान यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो और उन कारणें से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, स्कीम के अधीन की गई किसी असंवितरित वित्तीय सहायता को रोक या कम कर सकता है।

24. वित्तीय सहायता की शर्ते :

किसी गैर सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता देने की यह शर्त होगी कि गैर सरकारी संगठन यथास्थित प्राप्त हुई वित्तीय सहायता के लिए पृथक लेखा रखेगा और नियत समय के भीतर वित्तीय सहायता का पूर्ण हिसाब देगा, इस विषय में विनिर्दिष्ट समय पर उपयोग प्रमाणपत्र देगा, प्राप्त हुई वित्तीय सहायता का नियत समय के भीतर संपरीक्षित लेखा उपलब्ध कराएगा और निधि के अधिकारियों या ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिनको इस बाबत प्राधिकृत किया गया है, ऐसे संगठनों द्वारा निष्पादित कार्यक्रमों या रखी गई बहियों के निरीक्षण में सहायता करेगा।

25. सदस्यता की कालावधि :

(1) परिषद या समिति का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रहेगा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वह सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है या

वह विकृत चित्त का अथवा दिवालिया हो जाता है या उसे नैतिक अधमता अंतर्निहित करने वाले किसी दांडिक उपराध में सिद्धदोष उहरा दिया जाता है।

- (2) परिषद और सिमिति के लिए अशासकीय सदस्यों का नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा किया जाएगा।
- (3) किसी अशासकीय सदस्य की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाएगी।
- (4) कोई सदस्य पुन: नाम निर्देशन का भी पात्र होगा।

26. सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य :

सदस्य सचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -

- (क) परिषद और सिमिति के सभी अभिलेखों का अभिरक्षक हो;
- (ख) परिषद और समिति की ओर से शासकीय पत्र व्यवहार करें;
- (ग) परिषद और सिमिति की बैंठकों के संयोजन के लिए सभी सूचनाएं जारी करें;
- (घ) परिषद और सिमित तथा ऐसे अन्य निकायों की सभी बैठकों का कार्यवृत रखे और ऐसी बैठकों का संयोजन करें:
- (ङ) निधि के अधीन संपत्तियों या धन प्रबंध करे, लेखा रखे और परिषद की ओर से सभी संपदाओं का निष्पादन करे;
- (च) परिषद और समिति के प्रशासनिक व्यय, जैसे सदस्यों के यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का व्यय जो निधि पर विधि संगत प्रभार होगा, से संबंधित बजट तैयार करे;
 - (छ) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करे जो उसे परिषद या समिति द्वारा सौंपे जाएं।

27. निधि का आबंटन :

समिति, निधि के कुल धन के, जिसका उपयोजन विशिष्ट वर्ष में इस स्कीम के प्रयोजन के लिए किया जाना है, अनुपात का अवधारण करेगी। जहां भी आवश्यक हैं, वित्त मंत्रालय और कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुमोदन लेने के पश्चात न्यूनतम प्रशासितक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी।

28. निधि का निकाला जाना :

- (1) परिषद के खातों से निधि के निकाले जाने का विनियमन, समिति द्वारा अवधारित रीति से किया जाएगा।
- (2) ऐसा निकाला जाना, उस दशा में जहां रकम 5000/- रुपये से अधिक नहीं है सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और अन्य दशाओं में सदस्य-सचिव और सिमित द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित चैक या अध्यपेक्षा (यथास्थिति) द्वारा किया जाएगा।
- 29. सिमिति अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए किन्हीं प्रशासिक और वित्तीय शिक्तयों का, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसे वह आवश्यक समझती है, प्रत्यायोजन कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति सिमिति द्वारा प्रत्येक मामले में निश्चित पारिश्रमिक और यात्रा भत्ते लेंगे।

30. सदस्यों और अधिकारियों का पारिश्रमिक :

- (1) परिषद द्वारा निश्चित यात्रा और दैनिक भत्तों के सिवाय परिषद या समिति के किसी सदस्य को किसी पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाएगा।
- (2) परिषद और सिमिति के ऐसे सदस्य, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, उनको अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्तों को उस स्रोत से ले सकेंगे जहां से वे अपने वेंतन लेते हैं।
- ं (3) परिषद और सिमिति के अशासकीय सदस्य ऐसे पारिश्रमिक और यात्रा भत्तों के हकदार होंगे जो परिषद द्वारा बनाई गई उप-विधियों में विनिर्दिष्ट किए गए हों।

31. लेखाओं की संपरीक्षा :

- (1) निधि के सारे धन या सम्पतियों और उनकी आयं तथा व्यय का लेखा, सदस्य सचिव द्वारा रखा जाएगा और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित होगा जो यह प्रमाणित करेगा कि निधि से व्यय स्कीम के उपबंधों के अनुसार किया गया है।
- (2) निधि के वार्षिक लेखों का विवरण परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और जब इसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित और प्रमाणित और परिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है इसे प्रत्येक वर्ष, परिषद के सदस्य सिचव द्वारा भारत सरकार को भेजा जाएगा। इन लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

32. वार्षिक रिपोर्ट :

राष्ट्रीय खेल कूद विकास निधि के कार्यकरण की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जून मास में परिषद के सदस्य-सचिव द्वारा भारत सरकार को भेजा जाएगा। इन लेखाओं को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी।

[संख्या 1-6/97-खेल-4]

भास्कर बरुआ, सचिव

3.A

परिशिष्ट

[अनुसूची ''ख'' का पैरा 20 देखिए] राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि, 1998 अनुरोध/आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

- 1. आवेदक (संगठन/व्यष्टिक) का नाम और पता
- 2. खेल-कूद शाखा
- 3. संगठन की स्थापना की तारीख
- संक्षिप्त इतिहास और क्रियाकलापों का संक्षिप्त लेखा (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ने संलग्न करें)
- क्या संगठन, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत हैं ? यदि हां, तो उसके ब्योरें बताइए।
- 6. क्या संगठन राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर का है?
- क्या संगठन को भारत सरकार के युवा मामले और खेल-कूद विभाग या किसी अन्य मंत्रालय/ विभाग से सहायता प्राप्त होती है? यदि हाँ, तो उसके ब्योरे बताइए।
- क्या संगठन को किसी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार जिसके अन्तर्गत स्वायत्त निकाय भी है, से कोई सहायता प्राप्त होती है? यदि हाँ, तो उसके ब्योरे बताइए।
- 9. क्या संगठन को किसी कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार से कोई सहायता प्राप्त होती है ? यदि हाँ, तो प्रत्येक अनुदान के लिए रकम वर्ष और प्रयोजन सहित उसके ब्योरे अलग से बताइए।
- 10. क्या संगठन को युवा मामले और खेल-कूद विभाग के किसी स्वायत्त संगठन से कोई अनुदान प्राप्त होता है ? यदि हाँ, तो प्रत्येक अनुदान के लिए रकम, वर्ष और प्रयोजन सहित उनके ब्योरे अलग से बताइए।
- क्या संगठन को भारत में या किसी विदेश के किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होता है ? यदि हों,
 तो उसके ब्योरे बताइए।

प्रस्ताव क ब्यार :	
(क) परियोजना (प्रोजेक्ट) का नाम और कार्यान्वयन का स्थान	archite Dancer at Jerent 1
an de desar desar de la como de l	s per sign there the book

- (ख) परियोजना के कार्यान्वयन की तारीखें
 - (1) आरंभ की तारीख
 - (2) समापन की तारीख
- (ग) अनुरोधित सहायता का प्रकार/वित्तीय अंशदान
 - (1) अवसंरचना का सृजन
 - (2) अवसंरचना का अनुरक्षण
 - (3) उपस्कर

- (4) कोचिंग/प्रशिक्षण
- (5) अध्ययन/अनुसंधान
- (6) प्रकाशन, सावधिक पत्रिकाएं और दस्तावेजीकरण
- (7) सम्मेलन/अधिवेशन या सेमिनार
- (8) परामर्शदायी सेवा
- (9) उधार
- (10) यात्रा सहात्रिकी
- (11) कोई अन्य मद (मदें)
- 13. प्राप्तिकर्ता संगठन का वित्तीय अंशदान राष्ट्रीय खेल-कूद विकास विधि से मांगी गई वित्तीय सहायता की रकम
- 14. परियोजना का वर्णन
- 15. वे क्रियाकलाप जिनसे यह परियोजना संबंधित है (कृपया विधि के उद्देश्य देखिए)
- 16. परियोजना का भौगोलिक क्षेत्र-अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राज्यीय, राज्यीय, जिला
- 17. परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी निकाय का नाम
- 18. फायदाग्राही संस्था (संस्थाएं)
- 19. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें :--
 - (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
 - (2) संगठन का संविधान, ज्ञापन के अनुच्छेद, लक्ष्य और उद्देश्य
 - (3) पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिषोर्टें (प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग रिपोर्ट) इस रिपोर्ट में आरंभ किए गए प्रत्येक कार्यक्रम का और प्राप्त किए गए प्रत्येक भौतिक लक्ष्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। परियोजनाओं/क्रियाकलापों के अवस्थान का भी उल्लेख करें।
 - (4) प्रबंध बोर्ड/कार्यपालक समिति के वर्तमान सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची, गठन की तारीख वर्तमान पदावधि (तारीख दीजिए)
 - (5) संगठन का कर्मचारीवृंद (नाम, वेतनमान और वर्तमान परिलब्धियाँ बताएं)
 - (6) सम्पूर्ण संगठन के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण :--
 - (क) तुलनपत्र (ख) आय-व्यय लेखा और (ग) चार्टर एकाउंटेंट का शासकीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित प्राप्त राशि और संदाय का लेखा पिछले दो वर्षों का विवरण प्रस्तुत करें। कोई अन्य कामज–पत्र जिन्हें संगठन संलग्न करना चाहे।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है और कोई जानकारी छपाई जाती है या गलत जानकारी दी जाती है तो वह अनुदान की स्वीकृति का रद्दकरण/वसूली करने वाली तथा विधि के अधीन ऐसी अन्य कार्यवाई करने की दायी होगी।

संगठन	के	सचिव	के ह	स्ताक्षर

स्थान

तारीख

- राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि का उद्देश्य अधिकतर समग्र निधि पर प्रोद्भूत ब्याज में से और दाताओं के अभिदाय में से उदीयमान खिलाड़ियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को अनुदान मंजूर करना है।
- राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि के अधीन सहायता, भारत के खेल-कूदों और खिलाड़ियों तथा व्यापक बुनियादी खेल-कूद के पोषण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को दी जाएगी।
- निधि, उपक्रमात्मक सहायता, तकनीकी सहकारिता, जिसके अंतर्गत खेल-कूद के संवर्धन विषय समस्याओं का अध्ययन, विशेषज्ञों का उपबंध, उपस्कर का प्रदाय, आपात सहायता, उन्नायक क्रिया-कलापों के लिए प्रशिक्षण देना और संभाल करना भी है, से संबंधित परियोजना स्वीकार करेगी।
- राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि, अधिक संख्या में परियोजनाओं को तैयार रखने का प्रयास करेगी जिन्हें वित्त पोषण अपेक्षित है और समय-समय पर उनका नवीकरण उन्नयन और उनकी अभिवृद्धि करेगी। संदाता वित्त पोषण और सहायता के लिए किसी परियोजना का चयन करने या नई
- राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि का संदाता वित्तपोषण के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवस्थान पहलू सहित किसी परियोजना का इस निमित्त साधारण नीति मार्गदर्शन सिद्धांतों और नियमों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि को संदान करते समय किसी यरियोजना के निष्पादन के लिए अभिकरण का भी संकेत दे सकेगा। राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि, संदाता की इच्छा का यथा संभव सम्मान करेगी।
- अनुदान के लिए आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्रारूप में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि, मार्फत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएंगे।
 - राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति (अधिमानत: फोटो कापी)
 - आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/सत्यापित संगठित के संगम का ज्ञापन उपविधि की प्रति।
 - प्रबंध समिति के सदस्यों की अईता और उपजीविका सहित एक सूची।
 - आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/सत्यापित पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों और लेखाओं के संपरीक्षित विवरण की प्रतियां। (4)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (Department of Youth Affairs and Sports) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1998

S. O. 973 (E).— Whereas Secretary to the Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Youth Affairs and Sports, being the person who proposes to apply the funds of the National Sports Development Fund, New Delhi, in trust for charitable purposes, has applied for vesting the funds mentioned in Schedule 'A' annexed hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India and for the settlement of a Scheme for the management and administration of

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and upon the application as aforesaid, and with the concurrence of the Secretary to the the said fund; Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Youth Affairs and Sports, do hereby order that the moneys set out in Schedule 'A' annexed hereto shall, as from the date of publication of this notification in the Official Gazette, be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to held by him and his successors in office upon trust to hold the said moneys and the income thereof in accordance with the trust and terms specified in the scheme in Schedule 'B', annexed hereto for the management and administration of the said fund;

And it is hereby further notified that the scheme specified in Schedule 'B' annexed hereto has, under sub-section (1) of section 5 of the said Act, been settled for the administration of the said Fund and under sub-section (3) of section 5 of the said Act. It is hereby further ordered that it shall come into force with immediate effect.

SCHEDULE 'A'

National Sports Development Fund

Contribution of rupees 2 crore provided out of the plan budget of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India, towards the funds of National Sports Development Fund.

SCHEDULE 'B'

Scheme for the Administration of the National Sports Development Fund

1. Sho, t title and commencement :

- (1) This scheme may be called the National Sports Development Fund Scheme, 1998.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

In this scheme, unless the context otherwise requires -

- (a) "Chairperson" means the Chairperson of the Council;
- (b) "Committee" means the executive committee constituted under paragraph 11;
- (c) "Council" means the Council constituted under paragraph 7;
- (d) "Fund" means the National Sports Development Fund;
- (e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Council nominated under paragraph 7;
- (f) "Paragraph" means a paragraph of the Scheme;
- (g) "President" means the President of the Committee;
- (h) "Properties" means properties belonging to the Funds;
- i) "Scheme" means the Scheme for the administration of the National Sports Development Fund.

3. Objects of the Fund:

The objects of the Fund shall be

- to administer and apply the moneys of the Fund for promotion of sports in general and specific sports disciplines and individual sports persons in particular for achieving excellence at the National and International level;
- (ii) to impart special training and coaching in relevant sports disciplines to sports persons, coaches and sports specialists;
- (iii) to construct and maintain infrastructure, as may be required for promotion of excellence in sports;
- (iv) to supply equipment to Government and Non-Governmental Organizations and individuals with a view to promoting excellence in sports;
- (v) to identify problems and take up research and development studies for providing support to excellence in sports;
- (vi) to promote international cooperation, in particular, exchanges which may promote the development of indigenous sport and human resources as also the activities which are within the ambit of Exchange Programmes entered into between India and other countries; and
- (vii) to provide low interest or interest free loans for projects and activities related to any of the aforesaid objects.

4. Assets of the Funds:

- (1) In addition to the moneys, the particulars of which are given in Schedule 'A' to this notification, the assets of the Fund shall include
 - (a) rupees seventeen crore and fifty lakh to be provided out of the Plan Budget of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India, and
 - (b) all such grants and contributions, both recurring and non-recurring from the Central Government and the State Governments.
- (2) The Fund shall accept contributions from statutory bodies created under the Acts of Parliament or of the State Legislatures, the United Nations and its associated bodies, other International Organizations, private and public corporate sectors, trusts, societies and individuals:

Provided that the decision of the Council in case of acceptance or otherwise of money from an individual or an organization shall be final.

5. Vesting of the assets of the Fund:

The assets of the Fund shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India under the Scheme.

6. The Treasurer of Charitable Endowments shall not act in the management or administration of the Fund but subject to any general or special directions given by the Central Government such management and administration shall be vested in the Council.

7. Constitution of the Council:

For the management and administration of the Fund, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Council consisting of the following members, namely:—

1 0				
A.	1.	Union Minister of Human Resource Development	migalovsC wnog2 lista	Chairperson (Ex-officio)
	2.	Minister of State for Youth Affairs and Sports	di ne alletto di discripti de	Vice Chairperson (Ex-officio)
•	3.	Secretary to the Government of India,	-	Member (Ex-Officio)
		Department of Youth Affairs and Sports		
	4.	Director General, Sports Authority of India	The state of the s	Member (Ex-Officio)
	5.	Joint Secretary to the Government of India,	Meanth of the Countrie	Member (Ex-Officio)
	٥.	Department of Youth Affairs and Sports		
	6.	Financial Adviser	ment what four tree	Member (Ex-Officio)
	v.	Ministry of Human Resource Development		•
	7.	Eight eminent sports persons and upto nine	Part of Street Galleries A to be a serie	Members
		eminent persons representing corporate sector,		
		private foundations and not-for-profit		Kangeley o strong, lege semin
		voluntary organizations and such other fields.		
	8.	An-officer not below the rank of the	Show the sale of the land	Member-Secretary
	0.	Deputy Secretary to the Government of India		(Ex-officio)
		Department of Youth Affairs and Sports	in execution and an area	d sandanas and sandalit Statemen
		Department of Touri Arians and Sports		

8. Meetings of the Council:

The Council chall meet at least once in a year to decide policy matters or issues relating to the Fund, on which its decisions are sought by the committee.

9. Quorum of the meetings of the Council and decisions of the Council:

- (1) The quorum for a meeting of the Council shall be two third of the strength of the council of which, at least three shall be ex-officio members including the Chairperson.
- (2) The council shall decide all matters by consensus provided that in case of difference, the resolution shall be put to vote and decided by majority of votes of the members present and voting and in case of equality of votes, the Chairperson shall have a second or a casting vote.

10. Conduct of business of the Council:

- (1) The council may function notwithstanding any vacancy in its constitution provided, however, that at no time the number of vacancies shall be such that the total number of Members is less than the quorum required for a meeting of the council.
- (2) Subject to the provisions therein contained, the Council may, with the previous approval of the Central Government, frame and vary from time to tiem, as it thinks fit, bye-laws for the conduct of its business.

11. Executive committee:

Day-to-day working of the fund shall be managed by an Executive Committee consisting of following members; namely:—

(1) Secretrary to the Government of India President
Department of Youth Affairs and Sports (ex-officio)

(2) Director General, Sports Authority of India

Member (ex-officio)

Member (ex-officio)

Member

(3) Joint Secretary to the Government of India

Department of Youth Affairs and Sports

(ex-officio)

Member

(A) Financial Advisor

(4) Financial Adviser, Member
Ministry of Human Resource Development (ex-officio)

(5) 5 Members of the Council to be nominated Members keeping in view their experience in management and fund raising.

(6) Member-Secretary of the Council Member-Secretary

The Executive Committee shall have the authority to call upon experts to assist it in its deliberations.

12. Quorum :

- (1) The quorum for a meeting of the Executive Committee shall be two third of the total number of members of the Committee of which at least two should be ex-officio members including the President.
- (2) all matters on which the decision of the Committee is required shall be decided by consensus failing which by majority of votes of the members present and voting on the question and in case of equality of votes, the President shall have a second or casting vote.

13. Meetings of the Committee :

The committee shall meet as often as necessary but not less than four times in a year.

14. Framing of bye-laws:

The Council may from time to time, with the previous approval of the Central Government, makes bye-laws :-

- (1) for regulation, management, appointment of officers and their terms and conditions and for any other purpose connected with the execution and management of the objects of the Fund; and
- (2) for the conduct of business of the Council.

15. Investment:

- (1) The Council shall decide on the overall policy of investment of the Fund. The Committee shall invest the assets of the Fund in any one or more of the mode of investments for the time being authorized by law for the investment of the trust money as the Committee may think proper.
- (2) The Committee may invest moneys of the Fund not immediately required on short terms basis in fixed deposits/certificates.

16. Delegation of powers:

- (1) The Council may delegate any of its powers excluding the powers to decide policy matters and the power to frame bye-laws to the Committee.
- (2) The Committee may delegate to one of its members or a sub-committee or sub-committees created for the purpose of its powers as may, in the opinion of the Committee, are required to be exercised merely for ministerial acts involving no discreation or are considered necessary conforming to common usage.

17. Contracts:

All Contracts and Sother assurances shall be executed in the name of the Council and signed on their behalf by the Joint Secretary In-charge of National Sports Development Fund Department of Youth Affairs and Sports in his capacity as the Member of the Council, or any Member of the Committee duly authorized by the Council.

18. Additional endowments:

- The Council may accept any endowments, donation or other contributions in augmentation of the fund or towards actulization of any of its objects.
- (2) The Council may also accept endowments, donations or other contributions for any special purpose connected with any of the Schemes not inconsistent with or calculated to impede the due working of the provisions of the Scheme.
- (3) It shall be permissible for a donor to the Fund to indicate a project along with any specific location/aspect for funding and also an agency for the execution of the project while making donations to the Fund subject to general policy gudielines and rules, if any, in this behalf. The Council or the Committee, in case the power to accept endowments, donations or other contributions have been delegated to it, shall respect the choice of the donor to the extent possible.

19. Eligibility of financial assistance:

The National Sports Federation, State Sports Association, State Sports Council, non-Government organization with a known record of promotion of sports and registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or registered as public trust functioning for at least three years or individual sports persons of outstanding talent shall be eligible for applying for financial assistance from the Fund for a specific project. Bodies/persons receiving assistance shall have to submit utilization certificate with relevant details within the period of time as may be specified by the Council. The Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India.

20. Application to Council:

Application for financial assistance from or under the Fund from voluntary organizations shall be in the Form specified in Appendix annexed to this Scheme.

21. The financial assistance on the loans under the Fund shall be decided by the Committee taking into consideration the project, the status of the executing body as also the wishes of the donors:

Provided that there should be no upper limit of financial assistance under the Fund.

22. Consideration of application:

All applications for financial assistance or loans from the Fund shall be considered and disposed of by the Committee and the Council shall be informed of such decisions:

Provided that before any application is considered, the President of the Committee, if he thinks it necessary to do so may refer application to the Council or any other body for expressing its views thereon.

23. Power to stop financial assistance:

The President of the Committee, if he thinks it necessary to do so, and for reasons to be recorded in writing, may withhold or reduce any undisbursed financial assistance, made under the Scheme.

24. Conditions of financial assistance :

It shall be the condition of financial assistance to any non-Governmental organization that the non-Governmental organization or as the case may be, shall maintain a separate account of the financial assistance received, shall render a full account of the financial assistance within the stipulated time, shall furnish utilization certificate at the time specified in this behalf, shall make available audited accounts of the financial assistance received within the stipulated time and assist the officers of the Fund or such other Officers, who may be so authorised in this behalf in the inspection of the programmes executed or books maintained by such organizations.

25. Duration of Membership:

- A member of the Council or the Committee shall cease to be as such if he dies or resigns his membership or becomes of unsound mind or insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude.
- The nominations of non-official members on the Council and the Committee shall be done by the Central Government in the Department of Youth Affairs and Sports.
- A non-official member shall be appointed for a period of three years.
- A member shall be eligible for re-nomination also. 4.

26. Powers and Functions of Member Secretary :

It shall be duty of the Member-Secretary-

- (a) to be the custodian of all records of the Council and the Committee;
- to conduct the official correspondence on behalf of the Council and the Committee;
- to issue all notices for convening the meetings of the Council and the Committee;
- to keep minutes of all meetings of the Council and the Committee and of such other bodies, and convening those meetings;
- to manage the properties or the moneys under the Fund, to maintain accounts and execute all contracts on behalf of the Council;
- to prepare the budget relating to the administrative expenses of the Council and Committee such as expenditure on travelling allowances and daily allowances of the members, which shall be a legitimate charge on the Fund;
- to exercise all other powers and execute such other functions as may be assigned to him by the Council or Committee.

27. Allocation of funds:

The Committee shall determine the proportion of the total moneys of the Fund which shall be applied for the purpose of this Scheme in a particular year. Minimum administrative infrastructure shall be provided for operation of the Fund after obtaining approval of Ministry of Finance and Department of Personnel and Trainning, wherever necessary.

28. Withdrawal of fund:

- (1) withdrawal of funds from the accounts of the Council shall be regulated in a menner to be determined by the
- such withdrawals shall be made by cheques or requisition (as the case may be) signed by the Member-Secretary in case the amount does not exceed Rs. 5000/- and duly signed by member-Secretary and another Member authorised by the Committee in other cases.
- The Committee may delegate any administrative or financial powers to a person or persons as it may consider necessary for the discharge of its functions and such persons shall draw remuneration and travelling allowance as may be 29. determined by the Committeee in each case.

30. Remuneration to members and officers:

(1) No remuneration shall be paid to any of the members of the Council and Committee except travelling and daily allowance at rates to be determined by the Council.

- (2) Members of the Council and Committee who are Government offficials may draw travelling and daily allowance, as admissible to them, from the source from which they draw their salaries.
- (3) Non-official members of the Council and Committee shall be entitled to draw such remuneration and travelling and other allowances as may be specified by the Council in bye-laws by it.

31. Audit of accounts :

- (1) Accounts of all moneys and properties and of income and expenditure of the Fund shall be maintained by the Member-Secretary and audited by the Comptroller and Auditor-General of India who shall certify that the expenditure from the Fund has been incurred in accordance with the provisions of this Scheme.
- (2) A statement of the annual accounts of the Fund shall be approved by the Council and after the same has been audited and certified by the Comptroller and Auditor-General of India and approved by the Council shall be submitted by the Member-Secretary of the Council to the Government of India every year. These accounts shall be laid on the table of both the Houses of the Parliament.

32. Annual Report:

A report on the working of the National Sports Development Fund of every year shall be prepared in the month of June by the Member-Secretary of the Council and after approval of the Council, presented to the Government of India. This report shall be laid on the table of both the Houses of Parliament.

[File No. 1-6/97-SP IV]

BHASKAR BARUA, Secy.

APPENDIX

(See para 20 of schedule B)

National Sports Development Fund, 1998

Form for submission of Requests

- Name and address of the applicant Organization/individual
- 2. Sports Discipline
- 3. Date of establishment of the organization
- Brief history and a brief account of activities (Attach separate sheet, if necessary)
- Whether the organization is registered under any law for the time being in force? If so, the details thereof.
- Whether the organisation of National/State/ District level.
- 7. Whether the organisation is in receipt of assistance from the Department of Youth Affairs and Sports or any other Ministry/Department of the Government of India? If so, the details thereof.
- 8. Whether the organisation is in respect of assistance from the Central Government including autonomous bodies, for any programme? If so, the details thereof.
- Whether the organisation is in receipt of assistance from the State Government for any programme? If so, the details thereof including amout, year and purpose separately for each grant.

309061798-4

- 10. Whether the organisation receives grant from any autonomous organisation of the Department of Youth Affairs and Sports? If so, details thereof, including amount, year and purpose separately for each grant.
- Whether the organisation receives grants in cash or kind from any other organisation in India or in a foreign country? If so, the details thereof.
- 12. Details of the proposal:
 - (a) Title of the project and place of implementation
 - (b) Project implementation dates:
 - (i) date of commencement
 - (ii) date of termination
 - (c) Type of assistance requested Financial contribution
 - (i) creation of infrastructure
 - (ii) maintenance of infrastructure
 - (iii) equipment
 - (iv) coaching/training
 - (v) study/research
 - (vi) publications, periodicals and documentation
 - (vii) conference/meeting or seminar
 - (viii) consultancy service
 - (ix) loans
 - (x) travel subsidy
 - (xi) any other item(s)
- Financial contribution of the recipient organisation. Amount of financial assistance sought from the National Sports Development Fund
- 14. Description of the Project
- Activities to which this project relates (Please see objects of the Fund)
- 16. Geographical coverage of the project
 - International
 - National

Inter-State

State

District

- Name of the body responsible for executing the Project
- Beneficiary Institution(s)
- Attested copies of the following documents

to be attached with the application:

- (i) Registration certificate
- (ii) Constitution of the organization articles of memorandum, and aims and objectives
- (iii) Annual reports of last two years (a separate report for each year). This report should briefly describe each programme undertaken and the physical targets achieved for each. The location of the projects/activities should also be mentioned.
- (iv) List of present members/office bearers of the Board of Management/Executive Committee, date on which it was constituted, present tenure (give dates)
- (v) Staff of the organization (give names, scale of pay, present emoluments)
- (vi) Audited statement of accounts of the entire organization:
 - (a) balance sheet (b) income and expenditure account;
 - and (c) receipt and payment account certified by a Chartered

Accountant or a Government Auditor. The statement should be furnished for the last two years.

Any other papers the organization would like to attach.

Place-

Certified that information given above is true and that withholding of any information or furnishing incorrect information will lead to cancellation of sanction/recovery of grant and such other action under the law.

Signature of Secretary of the Organisation
Name-

See Note attached for further details.

NOTE

- National Sports Development Fund aims at sanctioning grants to promosing sports persons, Government and non-Government organizations largely out of interest accrued on the Corpus Fund and out of the contributions of the donors.
- Assistance under the National Sports Development Fund will be given to Government and non-government organisations to foster India's sports discipline and sports persons and to broad base sports.
- The fund will accept project relating to preparatory assistance, technical cooperation including studies of problems on promotion of sports provision of experts, supply of equipment, emergency assistance, training and support for promotional activities.
- 4. NSDF shall strive to keep in readiness a large number of projects requiring funding and shall, from time to time, renew, upgrade and add to them. The donors would be free to choose any projects or suggest new ones for funding and support.
- 5. A donor to NSDF may indicate a project along with any specific location/aspect for funding and also an agency for execution of the project while making donations to NSDF subject to general policy guidlines and rules, if any, in this behalf. The NSDF shall respect the choice of the donor to the extent possible.
- Applications for grant in the proforma accompanied by the following documents should be sent to the Member-Secretary. The National Sports Development Fund c/o Department of Youth Affairs and Sports, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001.
 - (i) A copy (preferably photocopy) of the Registration Certificate duly attested by a Gazetted Officer.
 - (ii) A copy of the Memorandum of Association/Bye-laws of the organization duly signed/attested by the applicant.
 - (iii) List of members of the Managing Committee with their qualifications and occupations.
 - (iv) copies of annual reports and audited statements of accounts for the last two years duly signed/attested by the applicant.